

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 अगस्त 2011—श्रावण 20, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ ए 1-1-2011-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

शीर्षक-पचास-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन भाग (अ) (आ) (इ) (ई) (उ) तथा (ऊ) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित भाग तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. महिला, बालिका एवं शिशुओं से संबंधित विषय
2. समेकित बाल विकास योजना
3. पोषण
4. मंगल दिवस के कार्यक्रम
5. महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उन्नयन तथा सशक्तिकरण (जबाली योजना तथा सरकारी संस्थाओं के लिये अनुदान).
6. उषा किरण योजना

7. आश्रय गृह
8. समेकित बाल संरक्षण योजना
9. महिला एवं शिशु कल्याण
10. शिक्षा, संचार एवं प्रशिक्षण
11. लाड़ली लक्ष्मी योजना केन्द्र एवं राज्य शासन की विभागीय सहायक योजना तथा विभागीय संस्थाएं.
12. अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन
13. विभाग के अन्तर्गत समस्त प्रवर्गों के शासकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण
14. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :

1. मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995
2. राज्य महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियमन, 1998
3. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का संख्यांक 4)
4. मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007
5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का संख्यांक 4)
6. मध्यप्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007
7. घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
8. घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण नियम, 2006
9. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)
10. मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008
11. मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास तृतीय-श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2009
12. मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास तृतीय-श्रेणी (लिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009
13. मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास चतुर्थ-श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1991

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश

(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :

1. मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग
2. मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

1. मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल भोपाल

2. मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय यदि कोई हो :

1. मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा
2. मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (अराजपत्रित) तृतीय-श्रेणी कार्यपालिक सेवा
3. मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (अराजपत्रित) तृतीय-श्रेणी लिपिकीय सेवा
4. मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (चतुर्थ-श्रेणी) सेवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ 1-1-2011-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1-2011-एक-(1), दिनांक 11 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th August 2011

No. F.1-01-2011-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule,—

Under the heading L-Women and Child Development Department, for part (A) (B) (C) (D) (E) and (F) and entries relating thereto, the following parts and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(A) Matters of policy dealt within the Department :

1. Matter pertaining to Women, Girls and Children
2. Integrated Child Development Scheme
3. Nutrition
4. Programmes of Mangal Divas
5. Economic and Social Development, uplift and Empowerment of Women (Subsidy for Jabali Scheme and Government Institutions)
6. Usha Kiran Scheme
7. Shelter homes
8. Integrated Child Protection Scheme
9. Women and Child welfare
10. Education, Communication and Training

11. Ladili Laxmi Scheme, Departmental subsidy Scheme of Central and State Government, Departmental Institutions.
12. Atal Bal Arogya Poshan Mission
13. Training all Categories of Government Employees of the Department
14. All matters relating to the services with which the department concerned (Other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department) e. g. appointments, posting, transfers, pay, leave, pensions, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.

(B) Acts and Rules administered by the Department :

1. Madhya Pradesh Rajya Mahila Ayog Adhiniyam, 1995
2. Rajya Mahila Ayog (Functions) Regulations, 1998
3. The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (No. 4 of 2006)
4. Madhya Pradesh Commissions for Protection of Child Right Rules, 2007
5. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (No. 4 of 2007)
6. Madhya Pradesh Prohibition of Child Marriage Rules, 2007
7. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
8. Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006
9. Juvenile Justice (care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000)
10. Madhya Pradesh Women and Child Development (Gazetted) service Recruitment Rules, 2008
11. Madhya Pradesh Women and Child Development Class-III (Executive) service Recruitment Rules, 2009
12. Madhya Pradesh Women and Child Development Class-III (Ministerial) service Recruitment Rules, 2009
13. Madhya Pradesh Women and Child Development Class-IV service Recruitment Rules, 1991

(C) Directorates and Offices coming under the Department :

1. Directorate of Women and Child Development, Madhya Pradesh

(D) Boards and Corporations set up under the Acts :

1. Madhya Pradesh Rajya Mahila Ayog
2. Madhya Pradesh Bal Adhikar Sanrakshan Ayog

(E) Other Institutions and Bodies not covered under (D) above :

1. Madhya Pradesh State Social welfare Advisory Board Bhopal
2. Madhya Pradesh Women Finance and Development Corporations

(F) Name of Service if any, coming under the Department and special service matters, if any :

1. Madhya Pradesh Women and Child Development (Gazetted) Service
2. Madhya Pradesh Women and Child Development (Non-Gazetted) Class-III Executive service
3. Madhya Pradesh Women and Child Development (Non-Gazetted) Class-III Ministerial service
4. Madhya Pradesh Women and Child Development (Class-IV) service.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.